नियम एवं शर्तें

1. अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई ₹10,000/- (दस हजार रुपये) की सुरक्षा/निवेश राशि संस्थान के नियमानुसार स्वीकार की गई है।
2. संस्थान में जमा की गयी सुरक्षा/निवेश राशि के एवज में अभ्यर्थी को संस्थान के प्रोडक्ट (उत्पाद) उपलब्ध कराये जायेंगे।
3. इस पद हेतु आवेदन करने के लिए कोई न्यूनतम अथवा अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है।
4. संस्थान में जमा की गयी सुरक्षा/निवेश राशि जमा किये जाने के पश्चात् वापसी चाहने पर निम्न शर्ते लागू होगी।
   1) निवेश राशि/सुरक्षा राशि का लॉक इन पीरियड एक वर्ष का रहेगा।
   2) एक वर्ष के अवधि में कोई भी कार्य नहीं करने और उत्पाद नहीं लेने पर उक्त सम्पूर्ण राशि एक वर्ष बाद लौटा दी जाएगी।
   3) सुरक्षा/निवेश राशि समय से पूर्व वापसी पर कुल जमा राशि में से **30% (3000 रूपए)** राशि प्रशासनिक, प्रक्रिया, अभिलेखीय एवं अन्य प्रबंधन व्यय के रूप में काटी जाएगी तथा शेष **70% (7000 रूपए)** राशि अभ्यर्थी को वापस प्रदान की जाएगी।
   4) यदि अभ्यर्थी ने संस्थान से भरोसा कैल्शियम अथवा अन्य कोई उत्पाद प्राप्त किया है, तो सुरक्षा/निवेश राशि वापसी से पूर्व संस्थान की **प्रोडक्ट बाय-बैक (Buy Back) नीति** लागू होगी।
   5) केवल वही उत्पाद वापस स्वीकार किए जाएंगे जो पूर्णतः सुरक्षित, सीलबंद (Seal Packed), क्षतिरहित तथा पुनः विक्रय योग्य (Resaleable Condition) हों। खुले हुए, उपयोग किए गए, क्षतिग्रस्त, एक्सपायरी अथवा पुनः विक्रय योग्य नहीं पाए जाने वाले उत्पाद वापस स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
   6) संस्थान द्वारा पुनः विक्रय योग्य स्वीकार किए गए उत्पादों के मूल्य में से **50% (पचास प्रतिशत)** राशि काटकर शेष राशि अभ्यर्थी को वापस प्रदान की जाएगी।
   7) उत्पाद की गुणवत्ता एवं पुनः विक्रय योग्यता का अंतिम निर्णय संस्थान द्वारा निरीक्षण के उपरांत लिया जाएगा, जो अभ्यर्थी को पूर्णतः मान्य होगा।
   8) सुरक्षा/निवेश राशि अथवा उत्पाद वापसी से संबंधित समस्त भुगतान आवश्यक सत्यापन, दस्तावेज़ों की जांच एवं संस्थान की स्वीकृति के उपरांत ही अभ्यर्थी के पंजीकृत बैंक खाते में एक माह पश्चात् किया जाएगा।
   9) सुरक्षा/निवेश राशि वापसी अथवा उत्पाद वापसी के लिए प्रस्तुत आवेदन प्राप्त होने के पश्चात, संस्थान द्वारा आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत नियमानुसार एक माह पश्चात् भुगतान किया जाएगा।
   10) सुरक्षा/निवेश राशि एवं उत्पाद वापसी से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में **पशुपालन प्रबंधन संस्थान** का निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
   11) संस्थान आवश्यकता अनुसार समय-समय पर इन नियम एवं शर्तों में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिमार्जन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।